पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 57/2023

अनवान :

सतवीर पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. मनफुलराम पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. रणजीत पुत्र मनफुलराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री मनफुलराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. विमला पुत्री मनफुलराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 175/170 के ख0सं0 15 की 0.063है0 गै0मु0 ढाणी, ख0सं0 16 की 0.063है0 बाड़ा, ख0सं0 17/4 की 1.518है0, ख0सं0 314/2 की 3.225है0, ख0सं0 424/3 की 2.087है0, ख0सं0 44 की 0.3410है0, ख0सं0 76 की 1.2010है0 कुल 8.498है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 मनफुल के नाम दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 अकेले की बजाय वादी सतवीर, प्रतिवादी सं0 1 मनफुलराम, प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्र, प्रतिवादी सं0 3 रणजीत, प्रतिवादी सं0 4 कलावती व प्रतिवादी सं0 5 विमला को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा(हनुमानगढ़)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़।

Scanned with CamScanner